



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2010/आषाढ़ 31, 1932

No. 406]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2010/ASADHA 31, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 614(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' और 'घ' (साधारण ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेडमैन) काडर (अराजपत्रित) (पुरुष/महिला) और समूह 'घ' (अभ्यावेशित अनुधारी) (पुरुष/महिला) भर्ती नियम, 2001 को जहाँ तक उनका संबंध समूह 'ग' और 'घ' (साधारण ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेडमैन) काडर (पुरुष/महिला) और समूह 'घ' (अभ्यावेशित अनुधारी) (पुरुष/महिला) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल साधारण ड्यूटी काडर, तकनीकी काडर और ट्रेडमैन (पुरुष/महिला) में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (साधारण ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेडमैन) काडर भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "महानिदेशक" से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में निर्दिष्ट नियुक्त प्राधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "शेष-एक" ऐसे चिकित्सा प्रवर्ग को निर्दिष्ट करता है जो गृह मंत्रालय/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित होगा।

(घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 में हैं।

3. लागू होना.—ये नियम, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे।

4. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. अनुरक्षण.—विना भरे रहा ऐसा प्रत्येक पद और प्रत्येक रिक्ति जो तत्पश्चात् उद्भूत हो सकेगी, अनुसूची में यथा अन्तर्विष्ट उपबंधों तथा ऐसी पद्धति के अनुसार भरी जाएगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

7. पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम.—पोषक रैंक में व्यक्ति को उसकी ज्येष्ठता के क्रम में उच्चतर रैंक पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा पूरी करने से पूर्व अर्हक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए भेजा जाएगा और बल का ऐसा प्रत्येक सदस्य से, किसी प्रोन्नति से पूर्व इसे उपाबद्ध अनुसूचियों में निर्दिष्ट पूर्व प्रोन्नति और प्रोन्नति पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी :

परन्तु यदि महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि सेवा की अत्यावश्यकताओं या अन्य अपरिहार्य कारणों से, कोई ऐसा सदस्य अपेक्षित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में समर्थ नहीं है तो वह प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे सदस्य द्वारा पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए ऐसे सदस्य को प्रोन्नत कर सकेगा जिसके न हो सकने पर उसे पूर्वतर रैंक और प्रास्थिति पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

8. ज्येष्ठता.—ज्येष्ठता, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए साधारण अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

9. तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति.—इन नियमों के संदर्भ में ऐसे ट्रेड के सिवाय जिसे तकनीकी (अर्थात् आर्मीर/फिटर/चालक) और ट्रेड (जैसे बढ़ई/मोची/दर्जी/बैंड) के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया जाता है और पृथक नियमों के अधीन शासित किया जाता है, तो ट्रेड जैसे माली/बिगुलर/पेंटर साधारण ड्यूटी काडर में होंगे और ऐसे किसी ट्रेड की ऐसी अपेक्षित अर्हता या अनुभव, जो विहित की जाए, रखने वाले व्यक्ति को महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा ट्रेड के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियोजित किया जाएगा।

10. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

11. अन्य देशीय की अपात्रता.—कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाए इन नियमों के अधीन नियुक्त किया जाएगा अन्यथा नहीं।

12. अधिवर्षिता.—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस मास के अन्तिम दिन के अपराह्न को सेवा से निवृत्त हो जायेगा जिसमें वह 57 वर्ष की आयु या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जो विहित की जाये, प्राप्त करता है। परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली पूर्ववर्ती तारीख है अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर मास के अन्तिम दिन के अपराह्न को सेवा से निवृत्त हो जायेगा।

(2) किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की विहित आयु से परे सेवा में कोई विस्तार मंजूर नहीं किया जायेगा।

13. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों खिलाड़ियों, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

15. निवर्चन.—यदि इन नियमों के निवर्चन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	---------------------------------	------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
साधारण ड्यूटी काडर (1) कांस्टेबल और स्त्रियां 2950)	1,53,420* (2010) (पुरुष और स्त्रियां 2950) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अनुसूचित्वीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(8)	(9)	(10)
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता। (ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मानदंड। (iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक दक्ष परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए।	लागू नहीं होता	दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
---	--

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा 100% टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।	लागू नहीं होता

प्रोन्नति के लिए, प्रोन्नति समिति की संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता ।

- (i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट — पीठासीन अधिकारी
(ii) उप कमांडेंट — सदस्य-I
(iii) सहायक कमांडेंट — सदस्य-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. हैड कांस्टेबल (पुरुष)	39,845* (2010)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अनुसूचित विधायक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)
और स्त्रियाँ	39,109	(योधक)	ग्रेड वेतन 2400 रु.			टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी ।
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	736					

(8)

(9)

(10)

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता ।
(ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मानदंड ।
(iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक ।

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है ।

(11)

(12)

- (1) 95% पोषक पदों से प्रोन्नति द्वारा ।
(2) 5% खेलों के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा ।

- (i) ऐसा कांस्टेबल, कांस्टेबल के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसके अन्तर्गत ड्यूटी बटालियन में की गई 3 वर्ष भी है ।
(ii) महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर अपेक्षानुसार यथा विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो ।
(iii) चिकित्सा वर्ग 'शेप-एक' का होना चाहिए ।
(iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो ।

टिप्पण 1.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित

(12)

अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)

पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- (i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी
(ii) उप कमांडेंट —सदस्य I
(iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य II

(14)

लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी काडर (3) कांस्टेबल के आधार (आमोरेर) पर परिवर्तन किया जा सकता है।	605*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

लागू नहीं होता

(9)

लागू नहीं होता

(10)

लागू नहीं होता

(11)

शत-प्रतिशत पुनः भर्ती द्वारा

(12)

कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) बुनियादी अर्हक आमोरेर पाठ्यक्रम सफल होने के पश्चात् पुनः भर्ती किया जा रहा है।

(13)

लागू नहीं होता

(14)

लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. कांस्टेबल (फिटर)	1431*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : प्रत्येक मामले में

						(7)
						आयु सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी ।
(8)	(9)			(10)		
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या समतुल्य से मैट्रिक ।	लागू नहीं होता			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है ।		
(ii) एक वर्ष का अनुभव तथा आई.टी.आई. या मान्यता-प्राप्त संस्थान से ऑटोमोबाइल फिटर/मोटर मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र होना चाहिए ।						
(iii) विज्ञापन में उल्लिखित यथा विहित शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हक होना चाहिए ।						
(11)	(12)					
सीधी भर्ती या पुनः भर्ती द्वारा टिप्पण.—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ।	कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) बुनियादी अर्हक ऑटो फिटर पाठ्यक्रम सफल होने के पश्चात् पुनः भर्ती किया जा रहा है ।					
(13)	(14)					
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी					लागू नहीं होता
(ii) उप कमांडेंट	—सदस्य I					
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. कांस्टेबल (ड्राईवर)	9416*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अनुसूचित वीथीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी ।
(8)	(9)			(10)		
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य ।	लागू नहीं होता			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है ।		
(ii) मोटर परिवहन चालन अनुज्ञापित (भारी परिवहन यान) होना चाहिए और भर्ती के समय चालन परीक्षण उत्तीर्ण करना चाहिए ।						

(8)

(iii) सीधे भर्ती के विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए।

(11)

सीधी भर्ती या पुनः भर्ती द्वारा टिप्पण.—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(12)

ऐसे कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) जिन्हें चालक और मैकेनिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् पुनः भर्ती किया जा रहा है।

(13)

(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी
(ii) उप कमांडेंट —सदस्य I
(iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य II

(14)

लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. हैड कांस्टेबल (आर्मोरर)	688*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

लागू नहीं होता

(9)

लागू नहीं होता

(10)

लागू नहीं होता

(11)

प्रोन्नति द्वारा

(12)

प्रोन्नति (i) ऐसा कांस्टेबल (आर्मर) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

(ii) जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।

(iii) चिकित्सा प्रवर्ग शोप-I का होना चाहिए।

(iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।

टिप्पण 1.—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

टिप्पण 2.—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)

(14)

(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी	लागू नहीं होता
(ii) उप कमांडेंट	—सदस्य I	
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II	
(iv) एक सदस्य जिसे संबंधित ट्रेड का समुचित ज्ञान हो	—सह-सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. हेड कांस्टेबल (फिटर)	709*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अनुसूचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा

(i) ऐसा कांस्टेबल (फिटर) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

(ii) जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति पाठ्यक्रम या अन्य कोई पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।

(iii) चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 का होना चाहिए।

(iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।

टिप्पण 1.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

टिप्पण 2.—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)

(14)

(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी	लागू नहीं होता
(ii) उप-कमांडेंट	—सदस्य I	
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II	
(iv) एक सदस्य जिसे संबंधित ट्रेड का समुचित ज्ञान हो	—सह-सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. हैड कांस्टेबल (डाइवर)	5327*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति (i) ऐसा कांस्टेबल (चालक) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

(ii) जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।

(iii) चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 का होना चाहिए।

(iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।

टिप्पण 1.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

टिप्पण 2.—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)

(14)

(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी	लागू नहीं होता
(ii) उप-कमांडेंट	—सदस्य I	
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II	
(iv) एक सदस्य जिसे संबंधित ट्रेड का समुचित ज्ञान हो	—सह-सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. ट्रेडमैन काडर कांस्टेबल (बढ़ई)	472*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अनुसूचित वर्गीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी।

(8)

(9)

(10)

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता।	लागू नहीं होता	दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।
(ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मानदंड।		
(iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथाविहित शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए।		
(iv) बढ़ई के ट्रेड में निपुण होना चाहिए।		

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण.—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।	लागू नहीं होता
---	----------------

(13)		(14)				
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :—		लागू नहीं होता				
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी					
(ii) उप कमांडेंट	—सदस्य I					
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. कांस्टेबल (मोची)	720*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अनुसूचित/चौथी) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी।
(8)	(9)	(10)				
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता।	लागू नहीं होता	दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।				
(ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मानदंड।						
(iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथाविहित शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए।						
(iv) मोची के ट्रेड में निपुण होना चाहिए।						
(11)	(12)					
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण.—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।	लागू नहीं होता					
(13)	(14)					
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :—		लागू नहीं होता				
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी					
(ii) उप-कमांडेंट	—सदस्य I					
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. कांस्टेबल (दर्जी)	1124*(2010) (पुरुष 1106 और स्त्रियां 18) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी।
	(8)		(9)		(10)	
	(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता। (ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मानदंड। (iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथाविहित शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक-दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए। (iv) दर्जी के ट्रेड में निपुण होना चाहिए।		लागू नहीं होता		दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।	
	(11)		(12)			
	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण.—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।		लागू नहीं होता			
	(13)		(14)			
	पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी (ii) उप कमांडेंट —सदस्य I (iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य II		लागू नहीं होता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. कांस्टेबल (ब्रास बैंड)	450*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के

(7)

अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी।

(8)

(9)

(10)

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता।

(ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मानदंड।

(iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए।

(iv) ब्रास बैंड के ट्रेड में निपुण होना चाहिए।

लागू नहीं होता

दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

लागू नहीं होता

(13)

(14)

पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता

(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी

(ii) उप कमांडेंट —सदस्य I

(iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य II

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

13. कांस्टेबल (पाइप बैंड)

180*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)

वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने

(7)

के लिए निर्णायक तारीख
विज्ञापन में उल्लिखित
अन्तिम तारीख होगी।

(8)

(9)

(10)

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता।
(ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मानदंड।
(iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए।
(iv) पाइप बैंड के ट्रेड में निपुण होना चाहिए।

लागू नहीं होता

दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी
के विवेकानुसार आगे बढ़ाई
जा सकती है।

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा
टिप्पण.—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर
रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती
द्वारा भरी जाएंगी।

लागू नहीं होता

(13)

(14)

पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता

- (i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी
(ii) उप कमांडेंट —सदस्य I
(iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. कांस्टेबल (माली)	554*(2010) (पुरुष 545 और स्त्रियां 9) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण, केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी।

(8)	(9)	(10)				
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता । (ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मानदंड । (iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए । (iv) माली ट्रेड में निपुण होना चाहिए ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है ।				
(11)	(12)					
सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण.—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ।	लागू नहीं होता					
(13)	(14)					
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी (ii) उप कमांडेंट —सदस्य I (iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य II		लागू नहीं होता				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. कांस्टेबल (बिगुलर)	4500*(2010) (पुरुष 4438 और स्त्रियां 62)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी ।
(8)	(9)	(10)				
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है ।				

(8)	(9)	(10)				
(ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मानदंड। (iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए। (iv) बिगुल ट्रेड में निपुण होना चाहिए।						
(11)	(12)					
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण.—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।	लागू नहीं होता					
(13)	(14)					
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी (ii) उप कमांडेंट —सदस्य I (iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य II	लागू नहीं होता					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. कांस्टेबल (पेंटर)	277*(2010) (पुरुष 271 और स्त्रियां 6)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी।
(8)	(9)	(10)				
(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता। (ii) सरकार की विहित स्कीम के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मानदंड। (iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा में अर्हक होना चाहिए। (iv) पेंटर के ट्रेड में निपुण होना चाहिए।	लागू नहीं होता	दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।				

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण.—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ।	लागू नहीं होता

(13)	(14)
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी	
(ii) उप कमांडेंट —सदस्य I	
(iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य II	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. हैड कास्टेबल (बढ़ई)	255*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	<p>(i) ऐसा कास्टेबल (बढ़ई) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p>(ii) जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो ।</p> <p>(iii) चिकित्सा वर्ग 'शेप-एक' का होना चाहिए ।</p> <p>(iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो ।</p> <p>टिप्पण 1.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>टिप्पण 2.—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई समझी जाएगी ।</p>

(13)	(14)
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी
(ii) उप कमांडेंट	—सदस्य I
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II
(iv) एक सदस्य जिसे संबंधित ट्रेड का समुचित ज्ञान हो	—सह-सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. हेड कास्टेबल (मोची)	86*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अननुसन्धिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति द्वारा

- ऐसा कास्टेबल (बढ़ई) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
- जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।
- चिकित्सा वर्ग 'शेष-एक' का होना चाहिए।
- अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।

टिप्पण 1.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)	(14)
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी
(ii) उप कमांडेंट	—सदस्य I
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II
(iv) एक सदस्य जिसे संबंधित ट्रेड का समुचित ज्ञान हो	—सह-सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. हेड कांस्टेबल (दर्जा)	295*(2010) (पुरुष 289 और स्त्रियां 6) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसूचितवर्गीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	<p>(i) ऐसा कांस्टेबल (दर्जा) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>(ii) जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>(iii) चिकित्सा वर्ग 'शेप-एक' का होना चाहिए।</p> <p>(iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2.—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>

(13)	(14)
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी
(ii) उप कमांडेंट	—सदस्य I
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II
(iv) एक सदस्य जिसे संबंधित ट्रेड का समुचित ज्ञान हो	—सह-सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. हैड कांस्टेबल (ब्रास बैंड)	126*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(8)				(9)		(10)
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	<p>(i) ऐसा कांस्टेबल (ब्रास बैंड) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ii) जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति कार्यक्रम या कोई अन्य कार्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>(iii) चिकित्सा वर्ग 'शेप-एक' का होना चाहिए।</p> <p>(iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1.—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवाधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2.—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>

(13)	(14)
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी
(ii) उप कमांडेंट	—सदस्य I
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II
(iv) एक सदस्य जिसे संबंधित ट्रेड का समुचित ज्ञान हो	—सह-सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. हैड कांस्टेबल (पाइप बैंड) के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	68*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
------	------

प्रोन्नति द्वारा

- (i) ऐसा कांस्टेबल (पाइप बैंड) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
- (ii) जिन्होंने आवश्यकतानुसार समय-समय पर महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विहित ट्रेड में पूर्व-प्रोन्नति/प्रोन्नति पाठ्यक्रम या कोई अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।
- (iii) चिकित्सा वर्ग 'शेप-एक' का होना चाहिए।
- (iv) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।

टिप्पण 1.—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार दिया गया है ऐसी सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतनमान और ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)		(14)				
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी		लागू नहीं होता			
(ii) उप कमांडेंट	—सदस्य I					
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II					
(iv) एक सदस्य जिसे संबंधित ट्रेड का समुचित ज्ञान हो	—सह-सदस्य					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22. कांस्टेबल (खाना बनाने वाला) रसोइया	6486*(2010) (पुरुष 6382 और स्त्रियां 104) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अनुसूचित विधायक) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी।
(8)			(9)			(10)
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता।			लागू नहीं होता			दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।
(ii) कांस्टेबल (साधारण इयूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण।						
(iii) रसोइया के ट्रेड में निपुण होना चाहिए।						
(11)			(12)			
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।			लागू नहीं होता			
(13)			(14)			
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी			लागू नहीं होता		
(ii) उप कमांडेंट	—सदस्य I					
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. कांस्टेबल (नाई/हेयर ड्रेसर)	2020*(2010) (पुरुष 1991 और स्त्री 29) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी।

(8)	(9)	(10)
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता।	लागू नहीं होता	दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।
(ii) कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक और चिकित्सा मानक।		
(iii) नाई/हेयर ड्रेसर ट्रेड में निपुण होना चाहिए।		

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।	लागू नहीं होता

(13)	(14)
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :-	लागू नहीं होता
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी
(ii) उप कमांडेंट	—सदस्य I
(iii) सहायक कमांडेंट	—सदस्य II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24. कांस्टेबल (वाशर-मैन/वाशर-वूमैन)	2435*(2010) (पुरुष 2401 और स्त्री 34) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी।

(8)	(9)	(10)				
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता । (ii) कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक और चिकित्सा मानक । (iv) वाशर मैन/वाशर वूमैन ट्रेड में निपुण होने चाहिए ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है ।				
(11)	(12)					
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण.—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ।	लागू नहीं होता					
(13)	(14)					
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट (ii) उप कमांडेंट (iii) सहायक कमांडेंट	—पीठासीन अधिकारी —सदस्य I —सदस्य II	लागू नहीं होता				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25. कांस्टेबल (जलवाहक)	3884*(2010) (पुरुष 3820 और स्त्री 64) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23-वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारण करने के लिए निर्णयक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी ।
(8)	(9)	(10)				
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता । (ii) कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक और चिकित्सा मानक । (iii) जलवाहक ट्रेड में निपुण होना चाहिए ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है ।				
(11)	(12)					
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ।	लागू नहीं होता					

(13)	(14)
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी	
(ii) उप कमांडेंट —सदस्य I	
(iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य II	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26. कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी)	4190*(2010) (पुरुष और स्त्री 4130 और 60) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ग', (अननुसचिवीय) (योधक)	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच (अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारण करने के लिए निर्णायक तारीख विज्ञापन में उल्लिखित अन्तिम तारीख होगी।

(8)	(9)	(10)
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य या भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता।	लागू नहीं होता	दो वर्ष और सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।
(ii) कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए यथा विहित शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षण।		
(iii) सफाई कर्मचारी ट्रेड में निपुण होना चाहिए।		

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण हुई रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।	लागू नहीं होता

(13)	(14)
पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता
(i) उप-महानिरीक्षक/कमांडेंट —पीठासीन अधिकारी	
(ii) उप कमांडेंट —सदस्य I	
(iii) सहायक कमांडेंट —सदस्य II	

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2010

G.S.R. 614(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Group 'C' and 'D' (General Duty/Tech/Tradesmen Cadre (Non-Gazetted) (male/female) and Group 'D' (Enrolled Followers) (male/female) Recruitment Rules, 2001, in so far as they relate to the posts of Groups 'C' and 'D' (General Duty/Tech/Tradesmen Cadre (male/female) and Group 'D' (Enrolled Followers) (male/female) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts in the Central Reserve Police Force General Duty Cadre, Technical Cadre and Tradesmen (Male/Female) under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Group 'C' (General Duty/Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Director General" means the Director General, Central Reserve Police Force;
- (b) "Competent authority" means the appointing authority or the authority referred to in the Central Reserve Police Force Act, 1949 and Central Reserve Police Force Rules, 1955
- (c) "SHAPE-ONE" refers to the Medical Category which will be governed by the executive instructions issued from time to time by the Ministry of Home Affairs/Central Reserve Police Force.
- (d) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949.

3. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay / Pay scale.—The number of posts, their classifications and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule aforesaid.

5. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

6. Maintenance.—Every post remained unfilled and every vacancy that may arise thereafter shall be filled in accordance with the provisions as contained in the Schedule and the procedure as may be prescribed by the Central Government from time to time.

7. Pre-promotional courses.—The person in the feeder rank shall be detailed to undergo, qualifying courses, before completing service eligibility period for promotion to higher rank, in order of their seniority and every such member of the Force shall, before any promotion, be required to pass pre-promotion and promotional courses referred to in the Schedules annexed herein :

Provided that if the Director General is satisfied that due to exigencies of service or other unavoidable reasons, any such member is not able to undergo the required pre-promotional courses, he may promote such member of Force, subject to passing of pre-promotional courses by such member within two years, from the date of promotion, failing which he shall be reverted to previous rank and status.

8. Seniority.— Seniority will be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955 and general instructions issued by the Central Government from time to time.

9. Appointment of Technical Personnel.—In context of these rules, except such trade which is specifically declared as technical (viz.—Armourer/Fitter/Driver) and Trades (viz.—Carpenter/Mochi/Tailor/Band) and governed under separate rules, Trades viz.—Gardener/Bugler/Painter shall be in the General Duty Cadre and the person having required qualification or experience of any such trade as may be prescribed, shall be placed to perform the duties of the trade, by the Director General, the Central Reserve Police Force.

10. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment under these rule :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

11. Ineligibility of aliens.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules.

12. Superannuation.—(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of fifty seven years or as prescribed by the Central Government from time to time :

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire(d) from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

13. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

14. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen, Sportsmen, Compassionate appointments and other special categories of persons, in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time, in this regard.

15. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Pay band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(General Duty Cadre) (1) Constable	153420* (2010) (Male-150470 and Female 2950) *Subject to variation depended upon work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial Combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates. Note : The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the cut of date mentioned in the advertisement.
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	
(8)				(9)	(10)	
(i) Matric or equivalent from a board or university recognized by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.				Not applicable	Two years and further extendable at the discretion of the competent authority.	

(8)						
(ii) Physical and Medical Standard as per prescribed scheme of the Government.						
(iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment.						
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and %age of vacancies to be filled by various methods				In case of recruitment by Promotion/Deputation grade from which Promotion/Deputation to be made		
(11)				(12)		
100% by direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.				Not applicable		
Composition of Departmental Promotion Committee for promotion				Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
(13)				(14)		
Departmental Promotion Committee for considering Confirmation :				Not applicable.		
(i) Deputy Inspector General/Commandant				—Presiding Officer		
(ii) Deputy Commandant				—Member-I		
(iii) Assistant Commandant				—Member-II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2) Head Constable	39,845 (2010) (Male-39109 and Female-736) *Subject to variation depended upon workload.	General Central Service Group 'C' (Non-combatant)	Pay Band-I (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2400	Non selection	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates. Note : The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the cut of date mentioned in the advertisement.
(8)				(9)		(10)
(i) 10+2 or equivalent from a board or university recognized by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.				Not applicable		Two years for direct recruits and further extendable discretion of the at the competent authority.
(ii) Physical and Medical Standard as per the prescribed scheme of the Government.						
(iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed in the advertisement for recruitment.						

(11)	(12)
(i) 95% by promotion from feeder posts.	(i) Constable with five years regular service in the grade as Constable including 3 years in a duty Battalion.
(ii) 5% by direct appointment on sports basis.	(ii) Should have passed promotional Courses or any other courses prescribed by the Director General Central Reserve Police Force from time to time as per requirements.
	(iii) Should possess Medical category "SHAPE-ONE".
	(iv) Must have good record of Service.
	Note 1. Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
	Note 2. For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.

(13)	(14)
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer Not applicable
(ii) Deputy Commandant	—Member-I
(iii) Assistant Commandant	—Member-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(Technical Cadre)	605* (2010) *Subject to variation depended upon work-load.	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
100% by remusteration	Constable (General Duty) are being re-mustered after successfully qualifying Basic Armourer Course

(13)				(14)		
Not applicable				Not applicable		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(4) Constable (Fitter)	1431* (2010) *Subject to variation depended upon work- load.	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determining of the age-limit in each case shall be the cut- off date mentioned in the advertisement.
(8)				(9)	(10)	
(i) Matric or equivalent from a recognised Board, or University recognised by the Central or State Government.				Not applicable	Two years for direct recruits and further extendable at the discretion of competent authority.	
(ii) Must have one year experience and possess a Certificate from ITI or any other recognised institution in the trade of automobile fitter/motor mechanic.						
(iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for direct recruitment.						
(11)				(12)		
By direct recruitment or by remusteration. Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.				Constable (General Duty) are being re-mustered after successfully qualifying Basic Auto Fitter Course.		
(13)				(14)		
(i) Deputy Inspector General/Commandant				—Presiding Officer	Not applicable	
(ii) Deputy Commandant				—Member-I		
(iii) Assistant Commandant				—Member-II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(5) Constable (Driver)	9416* (2010) *Subject to variation depended upon work- load.	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates for direct recruitment).

(7)

Note : The crucial date for determining of the age-limit in each case shall be the cut-off date mentioned in the advertisement.

(8)	(9)	(10)
(i) Matric or equivalent from a recognised Board, or University recognised by the Central or State Government.	Not applicable	Two years for direct recruits and further extendable at the discretion of competent authority for direct recruitment.
(ii) Should be in possession of Motor Transport driving licence (Heavy Transport Vehicle) and should pass the driving test at the time of recruitment.		
(iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for direct recruitment.		

(11)	(12)
By direct recruitment or remusteration. Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	Constable (General Duty) are being remustered after successfully qualifying Driving and Mechanic Course.

(13)	(14)
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer
(ii) Deputy Commandant	—Member-I
(iii) Assistant Commandant	—Member-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(6) Head Constable (Armourer)	688* (2010) *Subject to variation depended upon work-load.	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-I (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2400.	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion	Promotion : (i) Constable (Armourer) with five years regular service in the grade. (ii) Should have passed pre-promotional/promotional courses or any other course in trade prescribed by Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirement.

(12)

(iii) Should possess Medical category SHAPE-ONE.

(iv) Must have good record of service.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.

(13)

(14)

(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer	Not applicable.
(ii) Deputy Commandant	—Member-I	
(iii) Assistant Commandant	—Member-II	
(iv) One member having sufficient knowledge of the trade	—Co-opted member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(7) Head Constable (Fitter)	709* (2010) *Subject to variation depended upon work-load.	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2400	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)

(12)

By promotion

- (i) Constable (Fitter) with five years regular service in the grade.
- (ii) Should have passed pre-promotional/promotional courses or any other course in trade prescribed by Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirement.
- (iii) Should possess Medical category SHAPE-ONE.
- (iv) Must have good record of service.

(11)	(12)
	<p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.</p>

(13)	(14)
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer
(ii) Deputy Commandant	—Member-I
(iii) Assistant Commandant	—Member-II
(iv) One having sufficient knowledge of the trade	—Co-opted member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(8) Head Constable (Driver)	5327* (2010) *Subject to variation depended upon work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial Combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2400	Non selection	Not applicable	Not applicable
(8)				(9)		(10)
Not applicable				Not applicable		Not applicable

(11)	(12)
By promotion	<p>Promotion :</p> <p>(i) Constable(Driver) with five years regular service in the grade.</p> <p>(ii) Should have passed pre-promotional/promotional course/trade test or any other courses prescribed by the Director General; Central Reserve Police Force from time to time as per requirement.</p> <p>(iii) Should possess Medical category "SHAPE-ONE"</p> <p>(iv) Must have good record of service.</p> <p>Note 1. Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>

(12)

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.

(13)

(14)

(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer	Not required.
(ii) Deputy Commandant	—Member-I	
(iii) Assistant Commandant	—Member-II	
(iv) One having sufficient knowledge of the trade	—Co-opted member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tradesmen (Cadre)	472* (2010)	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.
(9) Constable (Carpenter)	*(Subject to variation depended upon workload).					

(8)

(9)

(10)

(i) Matric or equivalent from a Board, or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.	Not applicable	Two years and further extendable at the discretion of competent authority.
(ii) Physical and Medical Standard as per the prescribed scheme of the Government.		
(iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment.		
(iv) Must be proficient in Carpenter trade.		

(11)

(12)

By direct recruitment.	Not applicable
Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	

(13)				(14)		
Departmental Promotion Committee for considering confirmation:—				Not applicable		
(i)	Deputy Inspector General/Commandant			—Presiding Officer		
(ii)	Deputy Commandant			—Member-I		
(iii)	Assistant Commandant			—Member-II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(10) Constable (Mochi)	720* (2010) *(Subject to variation depended upon work load).	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.
(8)				(9)	(10)	
(i) Matric or equivalent from a Board, or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.				Not applicable	Two years and further extendable at the discretion of competent authority	
(ii) Physical and Medical Standard as per the prescribed scheme of the Government.						
(iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment.						
(iv) Must be proficient in Mochi trade.						
(11)				(12)		
By direct recruitment.				Not applicable		
Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.						
(13)				(14)		
Departmental Promotion Committee for considering confirmation :—				Not applicable		
(i)	Deputy Inspector General/Commandant			—Presiding Officer		
(ii)	Deputy Commandant			—Member-I		
(iii)	Assistant Commandant			—Member-II		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(11) Constable (Tailor)	1124* (2010) (Male-1106 and Female-18) *(Subject to variation depended upon work load).	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.
	(8)			(9)		(10)
(i)	Matric or equivalent from a Board, or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.			Not applicable	Two years for direct recruits and further extendable at the discretion of competent authority.	
(ii)	Physical and Medical Standard as per the prescribed scheme of the Government.					
(iii)	Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for direct recruitment.					
(iv)	Must be proficient in Tailor trade.					
	(11)			(12)		
	By direct recruitment :			Not applicable		
	Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.					
	(13)					(14)
	Departmental Promotion Committee for considering confirmation :—				Not applicable.	
(i)	Deputy Inspector General/Commandant			—Presiding Officer		
(ii)	Deputy Commandant			—Member-I		
(iii)	Assistant Commandant			—Member-II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(12) Constable (Brass Band)	450* (2010) *(Subject to variation depended upon work-load).	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age Relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off-date mentioned in the advertisement.

(8)	(9)	(10)				
(i) Matric or equivalent from a Board, or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.	Not applicable	Two years and further extendable at the discretion of competent authority.				
(ii) Physical and Medical Standard as per the prescribed scheme of the Government.						
(iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment.						
(iv) Must be proficient in Brass Band trade.						
(11)	(12)					
By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	Not applicable					
(13)	(14)					
Departmental Promotion Committee for considering confirmation:—	Not applicable.					
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer					
(ii) Deputy Commandant	—Member-I					
(iii) Assistant Commandant	—Member-II					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(13) Constable (Pipe Band)	180* (2010) *Subject to variation depended upon work load.	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.
(8)	(9)	(10)				
(i) Matric or equivalent from a Board, or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.	Not applicable	Two years and further extendable at the discretion of competent authority.				
(ii) Physical and Medical Standard as per the prescribed scheme of the Government.						

(8)

- (iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned advertisement for recruitment.
- (iv) Must be proficient in Pipe Band trade.

(11)

By direct recruitment.
Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.

(12)

Not applicable

(13)

Departmental Promotion Committee for considering confirmation :—

- (i) Deputy Inspector General/Commandant —Presiding Officer
- (ii) Deputy Commandant —Member-I
- (iii) Assistant Commandant —Member-II

(14)

Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(14) Constable (Gardener)	554* (2010) (Male- 545 and Female-9) *Subject to variation depended upon work- load.	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.

(8)

- (i) Matric or equivalent from a Board, or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.
- (ii) Physical and Medical Standard as per the prescribed scheme of the Government.
- (iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment.

(9)

Not applicable

(10)

Two years and further extendable at the discretion of competent authority.

- (iv) Must be proficient in Gardener trade.

(11)	(12)
By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	Not applicable

(13)	(14)
Departmental promotion committee for considering confirmation :—	Not applicable
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer
(ii) Deputy Commandant	—Member-I
(iii) Assistant Commandant	—Member-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(15) Constable (Bugler)	4500* (2010) (Male- 4438 and Female-62) *Subject to variation depended upon work- load.	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-I (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.

(8)	(9)	(10)
(i) Matric or equivalent from a Board, or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.	Not applicable	Two years and further extendable at the discretion of competent authority.
(ii) Physical and Medical Standard as per the prescribed scheme of the Government.		
(iii) Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment.		
(iv) Must be proficient in Bugler trade.		

(11)	(12)
By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	Not applicable

(13)			(14)			
Departmental Promotion Committee for Considering confirmation :—			Not applicable			
(i)	Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer				
(ii)	Deputy Commandant	—Member-I				
(iii)	Assistant Commandant	—Member-II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(16)	277* Constable (Painter)	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3-years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.
(8)			(9)		(10)	
(i)	Matric or equivalent from a Board or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.			Not applicable		Two years and further extendable at the discretion of competent authority
(ii)	Physical and Medical Standard as per the prescribed scheme of the Government.					
(iii)	Must qualify Physical Standard Test/Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment.					
(iv)	Must be proficient in Painter trade.					
(11)			(12)			
By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.			Not applicable			
(13)			(14)			
Departmental Promotion Committee for considering confirmation :—			Not applicable			
(i)	Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer				
(ii)	Deputy Commandant	—Member-I				
(iii)	Assistant Commandant	—Member-II				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(17) Head Constable (Carpenter)	255* (2010) *Subject to variation depended upon work- load.	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2400	Non- selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
------	------

- By promotion
- Constable (Carpenter) with five years regular service in the grade.
 - Should have passed pre-promotional/promotional courses/trade test or any other course prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirement.
 - Should possess Medical category "SHAPE-ONE".
 - Must have good record of Service.

Note 1. Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2. For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the Commission.

(13)	(14)
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer
(ii) Deputy Commandant	—Member-I
(iii) Assistant Commandant	—Member-II
(iv) One having sufficient knowledge of the trade	—Co-opted Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(18) Head Constable (Mochi)	86* (2010) *Subject to variation depended upon work- load.	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2400	Non- selection	Not applicable	Not applicable

28534710-6

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
(11)	(12)	
By Promotion	<p>(i) Constable (Mochi) with five years regular service in the grade.</p> <p>(ii) Should have passed pre-promotional/promotional course/trade test or any other course prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirements.</p> <p>(iii) Should possess Medical category "SHAPE-ONE".</p> <p>(iv) Must have good record of Service.</p>	
	<p>Note 1. Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service or being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2. For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the Commission.</p>	

(13)	(14)
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer
(ii) Deputy Commandant	—Member-I
(iii) Assistant Commandant	—Member-II
(iv) One having sufficient knowledge of the trade.	—Co-opted Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(19) Head Constable (Tailor)	295* (2010) (Male-289 and Female-6) *Subject to variation depended upon work-load.	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial conbatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2400	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
(11)	(12)	
By Promotion	(i) Constable (Tailor) with five years regular service in the grade. (ii) Should have passed pre-promotional/promotional course/trade test or any other course prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirement. (iii) Should possess Medical category "SHAPE-ONE". (iv) Must have good record of Service.	
	Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service or being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	
	Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.	

(13)	(14)
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer
(ii) Deputy Commandant	—Member-I
(iii) Assistant Commandant	—Member-II
(iv) One having sufficient knowledge of the trade.	—Co-opted Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(20) Head Constable (Brass Band)	126* (2010) *Subject to variation depended upon work-load.	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2400	Non selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By Promotion	<p>(i) Constable (Brass Band) with five years regular service in the grade.</p> <p>(ii) Should have passed pre-promotional/promotional course/trade test or any other course prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirement.</p> <p>(iii) Should possess Medical category "SHAPE-ONE".</p> <p>(iv) Must have good record of Service.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service or being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.</p>

(13)	(14)
(i) Deputy Inspector General/Commandant	— Presiding Officer
(ii) Deputy Commandant	— Member-I
(iii) Assistant Commandant	— Member-II
(iv) One having sufficient knowledge of the trade	— Co-opted member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(21) Head Constable (Pipe Band)	68* (2010) *Subject to variation depended upon work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-I (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2400	Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By Promotion	<p>(i) Constable (Pipe Band) with five years regular service in the grade.</p> <p>(ii) Should have passed pre-promotional/promotional courses/trade test or any other course prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirements.</p> <p>(iii) Should possess Medical category "SHAPE-ONE"</p>

(12)

(iv) Must have good record of Service.

Note 1. Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service or being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2. For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding scale of pay and grade pay extended based on the recommendations of the commission.

(13)

(14)

(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer	Not applicable
(ii) Deputy Commandant	—Member-I	
(iii) Assistant Commandant	—Member-II	
(iv) One having sufficient knowledge of the trade.	—Co-opted member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(22) Constable (Cook)	6486* (2010) (Male-6382 and Female-104) *(Subject to variation depended upon work load).	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.

(8)

(9)

(10)

(i) Matric or equivalent from a Board, or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.	Not applicable	Two years and further extendable at the discretion of competent authority
(ii) Physical and Medical Standard as prescribed for Constable (General Duty).		
(iii) Should be proficient in Cook trade.		

(11)	(12)
100% by direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	Not applicable

(13)	(14)
Departmental promotion committee for considering confirmation :—	Not applicable
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer
(ii) Deputy Commandant	—Member-I
(iii) Assistant Commandant	—Member-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(23) Constable (Barber/Hair Dresser)	2020* (2010) (Male-1991 and Female-29) *(Subject to variation depended upon work load).	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-I (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.

(8)	(9)	(10)
(i) Matric or equivalent from a Board or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.	Not applicable	Two years and further extendable at the discretion of competent authority
(ii) Physical and Medical Standard as prescribed for Constable (General Duty).		
(iv) Should be proficient in Barber/Hair dresser trade.		

(11)	(12)
100% by direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	Not applicable.

(13)	(14)
Departmental promotion committee for considering confirmation :—	Not applicable
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer
(ii) Deputy Commandant	—Member-I
(iii) Assistant Commandant	—Member-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(24) Constable (Washer man/women)	2435* (2010) (Male-2401 and Female-34) *(Subject to variation depended upon work load).	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.

(8)	(9)	(10)
(i) Matric or equivalent from a Board or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.	Not applicable	Two years and further extendable at the discretion of competent authority
(ii) Physical and Medical Standard as prescribed for Constable (General Duty).		
(iii) Should be proficient in Washer man/women trade.		

(11)	(12)
100% by direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	Not applicable

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee for considering confirmation :—	Not applicable
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer
(ii) Deputy Commandant	—Member-I
(iii) Assistant Commandant	—Member-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(25) Constable (Water Camer)	3884* (2010) (Male-3820 and Female-64) *(Subject to variation depended upon work load).	General Central Service Group 'C' (Non-Ministerial combatant)	Pay Band-1 (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.

(8)	(9)	(10)
(i) Matric or equivalent from a Board or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.	Not applicable	Two years and further extendable at the discretion of competent authority.
(ii) Physical and Medical Standard as prescribed for Constable (General Duty).		
(iv) Should be proficient in Water Carrier trade.		

(11)	(12)
100% by direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.	Not applicable

(13)	(14)
Departmental Promotion Committee for considering confirmation :—	Not applicable
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer
(ii) Deputy Commandant	—Member-I
(iii) Assistant Commandant	—Member-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(26) Constable (Safai Karmachari)	4190* (2010) (Male- 4130 and Female-60) *(Subject to variation depended upon work load).	General Central Service Group 'C' (Non- Ministerial combatant)	Pay Band-1. (Rs. 5200- 20200) plus Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 23 years (5 years age relaxation in case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and 3 years in case of Other Backward Classes candidates). Note : The crucial date for determination of the age-limit in each case shall be the cut off date mentioned in the advertisement.

(8)	(9)	(10)
(i) Matric or equivalent from a recognised Board or University recognised by the Central or State Government or equivalent Army qualification in case of Ex-Army personnel.	Not applicable	Two years and further extendable at the discretion of competent authority
(ii) Physical and Medical Standard as prescribed for Constable (General Duty).		
(iv) Should be proficient in Safai Karmachari trade.		

(11)	(12)	(13)	(14)
100% by direct recruitment.	Not applicable		
Note : Vacancies caused by the incumbent being on deputation will also be filled up by direct recruitment.			
Departmental Promotion Committee for considering confirmation :—		Not applicable	
(i) Deputy Inspector General/Commandant	—Presiding Officer		
(ii) Deputy Commandant	—Member-I		
(iii) Assistant Commandant	—Member-II		

[F. No. R-II-21/2010-Recruitment (Group 'C' posts-Pers. II)]

S. C. SIVAJI RAO, Secy. (Pers-I)